प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3802/2008

याचिकाकर्ता सुधा अग्रवाल

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

विचारार्थ आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/-
धिरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ ।

"माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख"

11-2-2009 **हस्ताक्षर/**

दिलीप रावसाहेब देशमुख ,

न्यायाधीश

आदेश हेतु पोस्ट : 11-2-2009

हस्ताक्षर/

न्यायाधीश"

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3802/2008

याचिकाकर्ता सुधा अग्रवाल, पत्नी श्री राम अवतार अग्रवाल, आयु लगभग 50 वर्ष,
प्रोप्राइटर, मेसर्स आयुर्वेद हेल्थ हाउस, जिसका पंजीकृत कार्यालय "पवन हर्बल",व्यापार विहार रोड, महाराणा प्रताप चौक, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण
1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि (पशु पालन) विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
2. संचालक, पशु चिकित्सा सेवा संचालनालय, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

खंडपीठ :

माननीय श्री धिरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश
माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अमृतो दास, अधिवक्ता के साथ — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री सुमेश बजाज, शासकीय अधिवक्ता — राज्य की ओर से।

आदेश

(दिनांक 11-2-2009)

धिरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश :

1.पक्षकारों की सहमति से, मामले को अंतिम रूप से सुना गया।

2. याचिकाकर्ता मेसर्स आयुर्वेदिक हेल्थ हाउस की प्रोप्राइटर हैं, जो एक लघु उद्योग है तथा आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों के निर्माण का कार्य करती हैं। उत्तरवादीगण ने अपने **अनुलग्नक पी-6** दिनांक 5-2-2008 के माध्यम से औषधियों के लिए उत्पादकों से दर आमंत्रित की। औषधियों की दरें "रेट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म" (अनुलग्नक पी-7) में प्रस्तुत की जानी थीं। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कुछ औषधियों के प्रस्ताव को उत्तरवादी क्रमांक 2 ने **अनुलग्नक पी-8** दिनांक 26-5-2008 द्वारा स्वीकार किया। सफल निविदाकारों के साथ किया गया दर अनुबंध 31 मार्च, 2009 तक वैध था। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 3-6-2008 को आदेश पारित कर औषधियों की आपूर्ति का निर्देश दिया जैसा कि याचिका के पैरा 8.4 में उल्लिखित है। आपूर्ति 45 दिनों की अवधि में की जानी थी। याचिकाकर्ता ने सम्पूर्ण औषधियों का निर्माण कर, आदेशित औषधियों को उत्तरवादियों को प्रेषित किया, किन्तु उत्तरवादियों ने आपूर्ति स्वीकार नहीं की और उन्हें **अनुलग्नक पी-10** दिनांक 9-7-2008 के मेमो द्वारा लौटा दिया गया, यह सूचित करते हुए कि दिनांक 30 जून, 2008 तथा 4 जुलाई, 2008 के आदेशों को दिनांक 1 जुलाई, 2008 से निरस्त किया जा चुका है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान् अधिवक्ता का कहना है कि **अनुलग्नक पी-1 दिनांक 30 जून 2008** एवं **अनुलग्नक पी-2 दिनांक 4 जुलाई 2008** से जारी आदेश बिना किसी कारण बताए, मनमाने एवं एकतरफ़ा तरीके से पारित किए गए हैं। उक्त आदेश जारी करने से पूर्व याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया, जिससे

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कार्यादेश निरस्त करने की पूरी निर्णय प्रक्रिया गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटि और अनियमितता से दूषित है। दर अनुबंध समझौते में प्रवेश करने और कार्यादेश प्राप्त करने के उपरांत, याचिकाकर्ता ने औषधियों के निर्माण हेतु भारी निवेश किया। दर अनुबंधों का संचालन छत्तीसगढ़ स्टोर परचेज़ रूल्स, 2002 की वैधानिक दिशानिर्देशों से होता है। अतः आक्षेपित आदेश मनमाना है और शक्तियों का दुरूपयोग है। इस संदर्भ में याचिकाकर्ता ने निम्न प्रकरणों पर अवलंब लिया है:**<u>महाबीर ऑटो स्टोर्स एवं अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं अन्य*1, कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*2, ए.बी.एल. इंटरनेशनल लिमिटेड एवं अन्य बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य *3, नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम गंगा एंटरप्राइजेज *4</u>**

4. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित श्री सुमेश बजाज, अधिवक्ता, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चार प्रकार की दवाओं के लिए दर अनुबंध करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि इन सभी दवाओं को खरीदा नहीं जा सकता, और इसलिए इन सभी दवाओं की दरें अनुमोदित करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार, सबसे उपयोगी दवाओं की दरें आमंत्रित करने हेतु मॉडल इंडेंट तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उक्त प्रक्रिया सरकार के खजाने के हित में की गई थी। पहले किए गए दर अनुबंध को निरस्त करना राज्य के खजाने के हित में किया गया। दर आमंत्रण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि संचालक ,पशु चिकित्सा सेवा के पास यह विशेष अधिकार होगा कि वह किसी भी दर अनुबंध को बिना किसी कारण बताए स्थगित या अस्वीकार कर सकता है। आगे यह तर्क दिया गया कि दवाओं की खरीद के लिए सभी निर्माताओं के साथ किया गया दर अनुबंध, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, बिना किसी भेदभाव के निरस्त कर दिया गया है। संचालक पशु चिकित्सा सेवा को आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति के लिए दर आमंत्रण की शर्तों के अंतर्गत दर अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क कि उसके द्वारा भेजी गई खेप को उत्तरदाताओं ने अस्वीकार कर दिया, उसे अस्वीकार कर दिया गया है। आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा खेप भेजना और उसे उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार न करना, एक विवादित तथ्य का प्रश्न है और इसे रिट याचिका में निपटाया नहीं जा सकता। दर अनुबंध फॉर्म के प्रावधान खंड 7 (अनुलग्नक पी-7)का संदर्भ देते हुए कहा गया कि विवाद की स्थिति में, संचालक पशु चिकित्सा सेवा का निर्णय अंतिम होगा। अतः दर अनुबंध

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

फॉर्म में मध्यस्थता की धारा है और उत्तरदाताओं ने मध्यस्थता का आवेदन किए बिना ही इस न्यायालय का रुख किया है। इन परिस्थितियों में, याचिका वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के कारण खारिज करने योग्य है।

*1 AIR 1990 SC 1031

*2 AIR 1991 SC 537

*3 (2004) 3 SCC 553

*4 (2003 (7) SCC 410

इस संदर्भ में, **भारतीय फ़ूड कारपोरेशन और अन्य बनाम जगन्नाथ दत्ता और अन्य*5, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अन्य बनाम कुरियन ई. कलाथिल और अन्य *6, तथा बिहार राज्य और अन्य बनाम जैन प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड***7 के मामलों पर अवलंब लिया गया है ।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता ने दर आमंत्रण (अनुलग्नक पी-6)के उत्तर में अपनी पेशकश प्रस्तुत की। उसकी पेशकश को अंततः उन दवाओं की श्रेणियों के लिए स्वीकार किया गया, जैसा कि अनुलग्नक पी - 8 दिनांक 26-05-2008 के स्वीकारोक्ति पत्र में वर्णित है।याचिका में यह विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता ने चार श्रेणियों की दवाओं के लिए सप्लाई आदेश जारी किए थे, जैसा कि अनुलग्नक पी - 9 दिनांक 03-06-2008 में है, और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिलों को लौटाया गया तथा उसे 09-07-2008 को (अनुलग्नक पी-10) द्वारा सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली दवाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि निविदा पहले ही दिनांक 01-07-2008 और 04-07-2008 के आदेशों के माध्यम से निरस्त कर दी गयी थी।

7. इस याचिका में विचार का एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह याचिका, जो दर अनुबंध निरस्त करने से संबंधित है, पोषणीय है?

8. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, ने यह विवाद नहीं किया कि दर अनुबंध फॉर्म में दर आमंत्रण की शर्तों के अनुसार, संचालक

पशु चिकित्सा सेवा किसी कारण का उल्लेख किए बिना दर अनुबंध निरस्त करने में सक्षम था, परंतु उन्होंने यह तर्क दिया कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि राज्य या उसकी संस्था द्वारा कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में प्रत्येक कार्य तर्कसंगत कारणों से संचालित होना चाहिए। जहाँ आदेश मनमाने, तार्किक और बिना किसी कारण के होते हैं, वहाँ अनुबंध के मामलों में भी अनुच्छेद 14 लागू होता है और ऐसे कार्यों को उचित मामलों में खारिज किया जा सकता है। उत्तरवादीगण द्वारा अपने जवाबदार्थ में बताए गए कारण अनुलग्नक आर-1 दस्तावेज़ से स्पष्ट नहीं होते, जिसमें केवल तकनीकी समिति के गठन का उल्लेख है जो छत्तीसगढ़ स्टोर खरीद नियम के अनुसार दवाओं, उपकरणों, रसायनों, टीकों आदि की खरीद के लिए की गई थी। दूसरी ओर, श्री सुमेश बजाज, विद्वान शासकीय अधिवक्ता, ने तर्क दिया कि संचालक पशु चिकित्सा सेवा अपनी शक्ति के भीतर किसी भी चरण में बिना किसी कारण के दर अनुबंध निरस्त करने में सक्षम थे।

*5 AIR 1993 SC 1494
*6 AIR 2000 SC 2573
*7 (2002) 1 SCC 216

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ये शक्तियाँ समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रयोग की गईं। याचिकाकर्ता के दर अनुबंध के अलावा, विभाग ने अन्य निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए दर अनुबंध को भी बिना किसी भेदभाव के रद्द किया। याचिकाकर्ता की शिकायत कि उसने आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के बाद दवाओं का निर्माण किया और उसे उत्तरदाताओं को भेजा गया और इसे उत्तरवादीगण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, एक विवादित तथ्य का प्रश्न है।

9. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका में हस्तक्षेप के दायरे का उल्लेख, पक्षकारों द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों में किया गया है।

10. <u>महाबीर ऑटो स्टोर्स</u> *1 के मामले में, याचिकाकर्ता उत्तरदायी-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का लुब्रिकेंट वितरक था। उसे निगम का अधिकृत डीलर, वितरक और अभिकर्ता के रूप में मान्यता दी गई थी। तथापि, निगम ने याचिकाकर्ता को लुब्रिकेंट की आपूर्ति बंद कर दी और जब उसके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया, तब याचिका दायर की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त याचिका की ग्राह्यता पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया कि उपयुक्त मामलों में, राज्य अथवा उसकी एजेंसियों की ऐसी कार्रवाई जो

तर्क से रहित हो, अनुच्छेद 226 अथवा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाही में मनमानी मानी जा सकती है। जब राज्य की कार्रवाई में इस प्रकार की मनमानी होती है — जैसे अनुबंध में प्रवेश करना अथवा न करना — तब अनुच्छेद 14 प्रभाव में आता है और न्यायिक समीक्षा ऐसी कार्रवाई को निरस्त कर सकती है। राज्य के प्रत्येक कार्यकारी प्राधिकारी की हर कार्रवाई विधि के शासन के अधीन होनी चाहिए और उसे कारण द्वारा संचालित होना चाहिए। विधि के शासन के अधीन होना चाहिए और उसे तर्क से निर्देशित होना चाहिए। इसलिए, चाहे कोई भी गतिविधि हो या अर्ध-एकाधिकार वाले लेन-देन हों, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। यदि सरकार की कोई कार्रवाई, चाहे वह अनुबंध में प्रवेश करने अथवा न करने से संबंधित ही क्यों न हो, तर्कसंगतता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तो वह अनुचित (अतार्किक) मानी जाएगी।

11. <u>कुमारी श्रिलेखा विद्यार्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य</u> के मामले में भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **वेड्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ (6ठा संस्करण)** का उल्लेख करते हुए यह टिप्पणी की कि "असीमित विवेकाधिकार" की पूरी संकल्पना किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह केवल जनहित के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु ही शक्तियाँ रखता है। इस निर्णय के आगे के भाग में यह भी कहा गया कि इन्हीं कारणों से, सिद्धांततः ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसे "पुनरीक्षण-योग्य न होने वाला प्रशासनिक विवेकाधिकार" कहा जा सके, क्योंकि यह उतना ही विरोधाभासी होगा जितना "असीमित विवेकाधिकार"। असली प्रश्न यह है कि न्यायिक पुनरीक्षण का दायरा क्या है, और कुछ विशेष मामलों में विवेकाधीन निर्णयों की समीक्षा का दायरा बहुत सीमित हो सकता है। यह स्वतःसिद्ध है कि हर विवेकाधिकार का दुरुपयोग हो सकता है और हर शक्ति पर कुछ-न-कुछ कानूनी सीमाएँ अवश्य होती हैं।

12. <u>नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम गंगा एंटरप्राइजेज़ एवं अन्य</u> के मामले में, उत्तरवादीगण ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और अपनी बोली प्रस्तुत की। अपनी बोली के साथ ही उन्होंने ₹50 लाख की राशि का एक बैंक गारंटी भी बोली सुरक्षा के रूप में जमा किया। प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी "मांगे जाने पर प्रस्तुत की गयी बैंक प्रतिभूति " थी... जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान था कि यदि बोलीदाता, बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है, तो बैंक गारंटी मांग पर लागू की जा सकती है। निविदा खुलने पर उत्तरवादी सर्वोच्च बोलीदाता था। प्रतिवादियों ने अपनी बोली, प्रस्ताव

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की वैधता अवधि के दौरान वापस ले ली। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने ₹50 लाख की बैंक गारंटी का नकदीकरण कर लिया। उत्तरवादीगण ने बैंक गारंटी की राशि वापसी हेतु उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने दो प्रश्न उठाए:
(ऐ) क्या सुरक्षा जमा की जब्ती कानून के अधिकार के बिना और पक्षकारों के बीच किसी बाध्यकारी अनुबंध के बिना तथा साथ ही साथ अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के विपरीत की गई थी? और
(बी) क्या रिट याचिका, अनुबंध उल्लंघन से उत्पन्न दावे में ग्राह्य थी?

उच्च न्यायालय ने प्रश्न (बी) पर विचार किए बिना ही रिट याचिका स्वीकार कर ली और यह कहते हुए राहत दी कि प्रस्ताव स्वीकार होने से पूर्व वापस ले लिया गया था। अतः कोई पूर्ण अनुबंध अस्तित्व में नहीं आया था और यह हमेशा पक्षकारों के लिए खुला रहता है कि वे अपने प्रस्ताव को स्वीकृति से पूर्व वापस ले सकते हैं।याचिकाकर्ता-प्राधिकारी की अपील स्वीकार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिपण्णी की कि उच्च न्यायालय को सबसे पहले प्रश्न (बी) का उत्तर देना चाहिए था, अर्थात् क्या संविदा भंग से उत्पन्न दावे में रिट याचिका ग्राह्य थी, क्योंकि यह मामले की जड़ तक जाता। आगे यह भी कहा गया कि यह स्थापित विधि है कि अनुबंध से संबंधित विवादों को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नहीं उठाया जा सकता। इस संदर्भ में **केरल एस.ई.ई. बनाम कुरियन ई. कलाथिल, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड*8 तथा बरेली विकास प्राधिकरण बनाम अजई पाल सिंह*9**

*** 8 1996) 6 SCC 22**

***9* (1989) 2 SCC 116**

के मामलों में प्रतिपादित विधि सिद्धांतों को भी अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है।

13. तथापि, **ए.बी.एल. इंटरनेशनल लिमिटेड एवं अन्य*3** के मामले में, जब संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य अथवा उसकी एजेंसियों के संविदात्मक दायित्व के प्रवर्तन हेतु दायर याचिका की ग्राह्यता पर विचार किया गया, तो यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि तथ्यों के आधार पर राज्य किसी अनुबंध संबंधी मामले में भी मनमानी करता

है, तो पीड़ित पक्ष अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है और न्यायालय, मामले के तथ्यों के आधार पर अनुतोष प्रदान करने के लिए सक्षम है। जब राज्य अथवा उसकी कोई एजेंसी सार्वजनिक हित और सार्वजनिक कल्याण के विपरीत, अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण ढंग से अपने संविदात्मक, संवैधानिक अथवा वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करती है, तो वास्तव में वह संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित संवैधानिक गारंटी के विपरीत कार्य करती है। इसलिए, जब राज्य अथवा उसकी कोई एजेंसी किसी अनुबंध की पक्षकार हो, तो उस पर विधि द्वारा यह दायित्व है कि वह अनुबंध में निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित रूप से कार्य करे, जो संविधान के अनुच्छेद 14 की पूर्ति के लिए अपेक्षित है।

14. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मामले में, संविदात्मक दायित्वों में हस्तक्षेप की सीमा पर विचार करते समय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, इसे निर्णय के पैराग्राफ 5 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि –

"हमारा यह मानना है कि उच्च न्यायालय को आक्षेपित नोटिस को अभिखंडित करने का अधिकार नहीं था, विशेषकर जब संविदा के नियम और शर्तों में पक्षकारो में से किसी एक को समझौते को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट अधिकार क्षेत्र में संविदात्मक दायित्व के प्रश्न में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। अन्यथा भी, उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों को गलत तरीके से पढ़ा और यह निष्कर्ष निकालने में गंभीर त्रुटि की कि फूड कॉरपोरेशन ने पश्चिम बंगाल राज्य में भंडारण एजेंसियों को समाप्त करने का कोई नीति निर्णय नहीं लिया। हम रिकॉर्ड पर उपलब्ध कुछ दस्तावेजों का संदर्भ दे सकते हैं।"

15. केरल राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य बनाम कुरियन ई. कलाथिल एवं अन्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई अनुबंध केवल इसलिए वैधानिक नहीं हो जाता क्योकि वह किसी सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण हेतु है और उसे किसी वैधानिक निकाय द्वारा दिया गया है। ऐसे अनुबंधों की शर्तों से उत्पन्न विवाद अथवा कथित उल्लंघन को अनुबंध विधि के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार ही सुलझाया जाना चाहिए। इस तथ्य से कि समझौते के पक्षकारों में से एक वैधानिक अथवा सार्वजनिक निकाय है, लागू किए जाने वाले विधि सिद्धांतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैधानिक निकायों को,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निजी पक्षों की भांति, अनुबंध करने या संपत्ति से संबंधित लेन-देन करने की शक्ति होती है। ऐसी गतिविधियाँ सार्वजनिक कानून से संबंधित प्रश्न नहीं उठातीं।

16. बिहार राज्य एवं अन्य बनाम जैन प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के मामले में, पैरा 3 में इस प्रकार निर्णय दिया गया है :

"स्थापित विधि — संविदात्मक दायित्वों के प्रवर्तन के लिए रिट उपाय नहीं है। यह पुनः दोहराया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका ऐसे विवादों के न्याय निर्णयन हेतु उचित कार्यवाही नहीं है। विधि के अनुसार, उत्तरवादी को अनुबंध उल्लंघन के लिए उचित अनुतोष पाने हेतु सक्षम न्यायालय से संपर्क करने का विकल्प उपलब्ध था। यह स्थापित विधि है कि जब किसी वादी के पास कोई वैकल्पिक और समान रूप से प्रभावी उपचार उपलब्ध हो, तो उसे वही उपाय अपनाना चाहिए और उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार का सहारा नहीं लेना चाहिए। साथ ही, वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व न्यायालय के रिट जारी करने के क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करता, किंतु सामान्यतः यह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विवेकाधिकार प्रयोग से इंकार करने का उचित आधार होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपर्युक्त निर्णय में प्रतिपादित विधि-सिद्धांतों से यह कहा जा सकता है कि सामान्यतः संविदात्मक दायित्वों के प्रवर्तन के लिए रिट उपाय नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका, ऐसे विवादों के न्याय निर्णयन हेतु उचित कार्यवाही नहीं है। जब समान रूप से प्रभावी उपाय उपलब्ध हो, तो वादी को उसी उपाय का सहारा लेना चाहिए। तथापि, जब संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका की ग्राह्यता पर आपत्ति की सुनवाई की जाती है, तो यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या राज्य अथवा उसकी एजेंसी मनमाने ढंग से कार्य कर रही है। जब राज्य अथवा उसकी एजेंसी सार्वजनिक हित और जनकल्याण के विपरीत, अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण ढंग से संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करती है, तब संविधान का अनुच्छेद 14 प्रभाव में आता है और उच्च न्यायालय, मामले के तथ्यों के आधार पर, रिट याचिका को स्वीकार करने अथवा न करने के लिए विवेकाधिकार रखता है।

18. यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों की समीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में करें, तो हमें यह ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के

कृषि एवं पशुपालन विभाग ने अपने संचालक, पशु चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से, औषधि निर्माताओं से पशु-चिकित्सा औषधियों हेतु दरें आमंत्रित कीं। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरें कुछ औषधियों के लिए स्वीकृत की गईं और याचिकाकर्ता ने दर अनुबंध प्रपत्र भरा। यह प्रस्ताव 31 मार्च 2009 तक के लिए वैध था। संचालक ने औषधियों की आपूर्ति हेतु आदेश जारी किए, तथापि, उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति यह कहते हुए स्वीकार नहीं की कि दर अनुबंध बाद में निरस्त कर दिया गया था। यह भी विवादित नहीं है कि दर अनुबंध प्रपत्र में उल्लिखित शर्तें संचालक को बिना कोई कारण बताए अनुबंध निरस्त करने का अधिकार देती थीं। यह याचिकाकर्ता की शिकायत नहीं है कि अनुबंध किसी दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण आशय से निरस्त किया गया है, इसके विपरीत उत्तरवादी-राज्य का यह पक्ष है कि तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के राजकोषीय हित में सभी निर्माताओं के साथ दर अनुबंध निरस्त करने का निर्णय लिया गया और सभी निर्माताओं के साथ दर अनुबंध निरस्त कर दिए गए।

19. उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि अनुबंध की शर्तों में संचालक को बिना कोई कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया था तथा अनुबंध निरस्त करने में दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है, हमारा मत है कि उत्तरवादीगण द्वारा दर अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई, मामले की तथ्यों एवं परिस्थितियों में, न तो मनमानी कही जा सकती है और न ही राज्य द्वारा शक्तियों का रंगीन (कपटपूर्ण) प्रयोग।

20. जहाँ तक आपूर्ति आदेश जारी होने के पश्चात भी औषधियों की आपूर्ति को स्वीकार न करने के आरोप का संबंध है, यह विवादित तथ्य का प्रश्न है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका में विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके निर्णय हेतु साक्ष्य का अभिलेखन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई अनुतोष भी नहीं माँगा है।

21. फलस्वरूप, यह याचिका विफल होती है और इसे निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/-
धिरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

हस्ताक्षर/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By- ADV.VARSHA THACKER.